


समृद्धि-कारि

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937

No. 417]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/MAGHA 27, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-क के खंड (ख) के अनुसरण में, लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जन उपयोग सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

"(क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या

(ख) आवास और भू-संपदा सेवा।"

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन. III (एलएपी)-जेयूस]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2016

S.O. 495(E).—In pursuance of clause (b) of section 22A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in the public interest, hereby declares the following services to be public utility services with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

"(a) education or educational institutions; or

(b) housing and real estate service".

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.III (LAP)-JUS]

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.